न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 64/25 GCMS NO 2025/89

1. भरोसी पुत्र हरलाल
2. फल्ली पुत्र हरलाल जातियान मीना निवासी शहराकर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

...पाली पत्नि मुनीम

...म पुत्र राजपाल जातियान मीना निवासीयान शहराकर तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 28/24 निर्णय दिनांक 27.3.25 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 17.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 [illegible] से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.3.25 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम शहराकर की आराजी ख0न0 734 रकबा 0.04, 735 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 मे सायलान प्रत्येक बहिस्सा 1/6 एवं दावे के प्रतिवादी न0 3 बहिस्सा 1/6 तथा गैरसायलान न0 1 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 2 का आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजीयात सायलान व दावे के प्रतिवादी न0 3 को विरासत मे अपने पिता हरलाल से मिली है। पूर्व मे उक्त आराजी के [illegible]/2 हिस्से की खातेदारी बुजुर्गो के नाम रही है अब सायलान एवं दावे के प्रतिवादी न0 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। गैरसायल न0 1 द्वारा उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा पूर्व खातेदार से कय किया गया है। गैरसायलान द्वारा बिना किसी बंटवारे के आराजी पर नाप तोल कर निर्माण कार्य करना चाहता है जिसका बिना बंटवारा कराये गैरसायलान को कोई अधिकार हासिल नही है। गैरसायलान द्वारा सायलान को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इस प्रकार गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम शहराकर की आराजी खसरा न0 734 रकबा 0.04, 735 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 मे सालयान के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे आराजी मे निर्माण कार्य नही करे। रिकार्ड एवं मौके [illegible] जांच। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible] जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.06 15:26:25 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। खाता संख्या 411 जामबंदी सम्वत 2076–79 ग्राम शहराकर की आराजी खसरा न0 734 रकबा 0.04, 735 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम शहराकर तहसील टोडाभीम मे स्थित है। सायलान/अपीलांट एवं दावे के प्रतिवादी न0 3 प्रत्येक बहिस्सा 1/6,1/6 तथा गैरसायला न0 1 बहिस्सा 1/2 के खातेदार है गेरसायल न0 2 का आराजी वादग्रस्त से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजी अपीलांट व दावे मे दर्ज प्रतिवादी न0 3 को विरासत मे अपने बुजुर्गान से मिली है पूर्व मे उक्त आराजी पर अपीलांट /सायलान व दावे के प्रतिवादी न0 3 क पिता हरलाल काबिज थे तथा उनके रहने के बाद अब अपीलांट व दावे के प्रतिवादी न0 3 काबिज एवं दलील है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संलुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन किये बिना ही सायलान का प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत खारिज किया है। अदालत मातहत द्वारा आराजीयात मे सह खातेदार होने के वजह से प्रार्थना पत्र खारिज करने मे भूल की है। उक्त आराजीयात अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है तथा गैरसायलान द्वारा खरीद कर रेवेन्यू रिकार्ड मे नाम अंकित होना मानकर अपीलांट का प्राईमाफैसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे नही मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया कि उक्त आराजी अपीलांट के कब्जे की है तथा गैरसायलान का कब्जा नही है फिर भी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा गैरसायलान/रेस्पो0 को पाबंद किया जावे कि अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 734 735 ग्राम शहराकर तहसील टोडाभीम मे मजाहमत नही करे अपीलांट को बेदखल नही करे तथा आराजीयात मे निर्माण कार्य नही करे एवं मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न0 734 रकबा 0.04, 735 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम शहराकर तहसील टोडाभीम मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 गोपाली पत्नि मुनीम,पखेरू पुत्र हरलाल, फल्ली पुत्र हरलाल,भरोसी पुत्र हरलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे सहखातेदार मे दर्ज है तथा भूमि का बंटवारा नही हुआ है। यदि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर किसी सहखातेदार द्वारा निर्माण किया जाता है तो वह विधि विरुद्व है क्योकि विधिवत बंटवारे से पूर्व भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक एवं अधिकार होता है। इस प्रकार अपीलांट का प्राईमाफेसी केस साबित है। इसी प्रकार किसी सहखातेदार को उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल किया जाता है तो उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना रहती है। उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना विधि सम्मत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मुकदमा 28/24 मे पारित निर्णय दिनांक 27.3.25 को निरस्त किया जाता है। अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान/रेस्पो0 को पाबंद किया जाता है कि अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा न0 734 व 735 ग्राम शहराकर तहसील टोडाभीम मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे तथा अपीलांट को बेदखल नही करे एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:25 IST
Reason: SelfAttested